

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

शिव चरण मीना

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

21/2018/प्रा.पत्र/2018

03.04.2018

19.07.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

- 1-खाद्य कारोबारकर्ता श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक मैसर्स श्री शुभ एन्टरप्राइजेज सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
- 2-मैसर्स श्री शुभ एन्टरप्राइजेज सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
- 3-श्री अमित गुप्ता पुत्र निवासी बी-82 एलएस नगर, नया खेडा, अम्बाबाडी, जयपुर राज. प्रोपरायअर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच-1-37/37 ए, सरना डूंगर इण्डस्ट्रीज एरिया, झोटवाडा एक्सटेशन जयपुर राज.
- 4-मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच-1-37/37 ए, सरना डूंगर इण्डस्ट्रीज एरिया, झोटवाडा एक्सटेशन जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी श्री सुनिल कुमार स्वयं व अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा एड.।

:-निर्णय:-

दिनांक 19.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.10.2017 को समय 03:00 पी.एम पर मैसर्स श्री शुभ एन्टरप्राइजेज सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुनिल कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रैक में लगभग 36 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक 500-500 एमएल पैक रिफाइंड पाम ऑयल (अर्पण ब्राण्ड) रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक सार का न



होने का अन्देशा हुआ तो श्री सुनिल कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह रिफाइंड पाम ऑयल (अर्पण ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर एस.टी.-29 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2017 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 500-500 एमएल के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा रिफाइंड पाम ऑयल (अर्पण ब्राण्ड) 500-500 एमएल के 4 मूल पैक में से एक-एक नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1766 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1766 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच-1-37/37 ए, सरना डूंगर इण्डस्ट्रीज एरिया, झोटवाडा एक्सटेशन जयपुर राज.का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4591 दिनांक 13.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./693/एक्ट/2017/693 दिनांक 31.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया रिफाइंड पाम ऑयल (अर्पण ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री सुनिल कुमार जैन एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से उनके अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि प्रकरण का न्यूनतम शान्तिपूर्वक निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने



बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रिफाईंड पाम ऑयल (अर्पण ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे, वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है. इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाईंड पाम ऑयल (अर्पण ब्राण्ड) का नमूना जांच अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 19.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



43
(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णय अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0